यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट (उत्तरकाशी)** द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट (उत्तरकाशी)** के माह **02/2020** से माह **01/2021** तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री नित्यानन्द सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भारत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अरुण कुमार शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी(तदर्थ) द्वारा दिनांक **16.02.2021** से **26.02.2021** तक श्री आर.के.जोगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में संपादित की गई।

भाग-I

1. परिचयात्मक:- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुनील कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री प्रवीर घोष, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पंकज कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **06.02.2020** से **17.02.2020** तक श्री एस.के. त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में संपादित की गई थी। जिसमें माह **01/2019** से **01/2020** तक के लेखा अभिलेखों की जाँच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **02/2020** से माह **01/2021** तक के लेखा अभिलेखों की जाँच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- खंड द्वारा पुरोला एवं यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण, सेतु निर्माण तथा निक्षेप कार्य संपादित किए जाते है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(धनराशि रुपये लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/ आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/ आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2018-19	519.47	0.000	566.39	472.82	-	2198.82	2166.01	32.81
2019-20	493.28	32.81	515.23	506.80	-	1447.65	1475.35	5.11
2020-21 (Upto 01/2021)	53295	5.11	33.27	491.89	-	1047.58	694.28	358.41

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(धनराशि रुपये लाख में)

योजना का नाम	2018-19			2019-20			2020-21 (Upto 01/2021)		
	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय
शून्य									

(i) इकाई को बजट का आवंटन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को शामिल न करते हुए इकाई **"अ"** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निमन्वत है:- **सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन →प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड→ मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी→ अधीक्षण अभियन्ता, 6वाँ वृत, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी→ अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट (उत्तरकाशी)।**

(ii) **लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:-** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, **बड़कोट (उत्तरकाशी)** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट (उत्तरकाशी)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **07/2020**(आय) तथा **03/2020(व्यय)** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अंतर्गत नौगाँव स्यूरी मोटर मार्ग के किम्मी बेण्ड से भैरोंता होते हुए कण्डाऊ तक 6.40 कि.मी. मोटर मार्ग निर्माण कार्य का विस्तृत विश्लेषण किया गया।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

(iv) खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 10/2020 तथा 09/2013 तक की गई।

(v) **फार्म 51:** माह 01/2021 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है:-

भाग प्रथम	: ₹ 707148.00
भाग द्वितीय	: ₹ 1656015.00

3. खंड के उच्च्यंत लेखों के अवशेष माह-01/2021 के अन्त में निमन्वत थे:-

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	: ₹ 2433005.00
(ख)	सामग्री क्रय	: शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	: शून्य
(घ)	निक्षेप	: ₹ 20586695.00
(ङ)	भण्डार	: ₹ (-)683650.00

भाग- II (अ)

प्रस्तर- 1: भूमि का स्वामित्व प्राप्त किए बिना कार्य प्रारम्भ किए जाने के परिणामस्वरूप रुपये 2.21 करोड़ का निष्फल व्यय।

वित्तीय हस्त-पुस्तिका भाग-VI के नियम-378 के अनुसार "**No work should be commenced in land which has not been duly made over by the responsible civil officers.**"

राज्य योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 में जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अंतर्गत नौगाँव ब्लॉक में किम्मी से बिरुन्था रस्टाडी होते हुए कण्डाऊ मोटर मार्ग (8.00 कि.मी.) के निर्माण कार्य हेतु रुपये 168.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन द्वारा माह-09/2006 में प्रदान की गयी थी जिसके अंतर्गत मार्ग पर पहाड़ कटान, मलवा निस्तारण, सुरक्षात्मक कार्य, स्कपर एवं कैचपिट निर्माण आदि कार्य संपादित कराये जाने थे। उक्त मार्ग हेतु वन भूमि हस्तांतरण में देरी होने के कारण मार्ग (6.40 कि.मी.) के निर्माण हेतु रुपये 434.06 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन द्वारा माह-10/2016 में प्रदान की गयी थी जिसके सापेक्ष मुख्य अभियन्ता, टिहरी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी द्वारा मार्ग के प्रथम 3.00 कि.मी. भाग हेतु रुपये 216.30 लाख तथा शेष 3.40 कि.मी. हेतु रुपये 217.76 लाख की प्राविधिक स्वीकृति क्रमश: दिनाँक – 23.12.2016 एवं दिनाँक – 18.01.2020 को प्रदान की गयी थी। कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट की लेखापरीक्षा (माह-02/2021) के दौरान पाया गया था कि उपरोक्त कार्य के सम्पादन हेतु विभाग द्वारा चार अनुबंधों[1] का गठन किया गया था तथा लेखापरीक्षा तिथि तक किसी भी अनुबंध के सापेक्ष कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका था।

I - उपरोक्त कार्य की मूल स्वीकृति के अनुसार "**कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाये, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाये एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाये**" तथा "**कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जाएगा और यदि कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नहीं किया जाएगा।**" वित्तीय हस्त-पुस्तिका भाग-VI के प्रावधानों तथा कार्य की मूल स्वीकृति में वर्णित निर्देशानुसार विभाग द्वारा भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने तथा भूमि का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिए था।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट की लेखापरीक्षा (माह-02/2021) के दौरान पाया गया था कि विभाग द्वारा उक्त मार्ग हेतु कुल 50 कास्तकारों को 3.251 है°

1

क्रम सं.	अनुबंध संख्या	अनुबंधित लागत (रु. लाख में)	ठेकेदार का नाम	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	कि.मी.
1	11/EE	28.02	सरदार सिंह राणा	01.05.2017	31.10.2017	1
2	12/EE	27.29	बबलू सिंह राणा	01.05.2017	31.10.2017	2
3	08/EE	29.07	जगमोहन सिंह चंद सिंह	01.05.2017	31.10.2017	3
4	01/SE-06/20-21	80.28	RR & N Construction	18.05.2020	17.05.2021	4 से 6.40

नाप भूमि हेतु रुपये 46.91 लाख मुआवजे का भुगतान किया जाना था परंतु विभाग द्वारा केवल 44 कास्तकारों को रुपये 43.86 लाख का भुगतान करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। आगे जाँच में पाया गया था कि उक्त मार्ग के निर्माण के दौरान एक खातेदार[2] जिसको लोक निर्माण विभाग द्वारा भूमि प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया था के द्वारा मार्ग के संरेखण में बदलाव किए जाने के कारण अपने बगीचे को भारी नुकसान से बचाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका[3] दाखिल की गयी थी जिसपर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनाँक–17.06.2020 के माध्यम से लोक निर्माण विभाग को उक्त मार्ग पर कोई भी निर्माण कार्य किए जाने से रोक दिया गया था। विभाग द्वारा संबन्धित खातेदार के साथ उक्त विवाद को लेखापरीक्षा तिथि तक भी नहीं सुलझाया जा सका था जिसके कारण वर्तमान तक एक भी गाँव को सड़क मार्ग से नहीं जोड़ा जा सका था तथा मार्ग का निर्माण कार्य विगत आठ माह से अवरुद्ध था। इस प्रकार, विभाग द्वारा भूमि का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त किए बिना ही कार्य प्रारम्भ किए जाने के परिणामस्वरूप अवरुद्ध कार्य पर किया गया सम्पूर्ण व्यय रुपये 2.21 करोड़ निष्फल सिद्ध हुआ था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया था कि पूर्व में मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम प्रधान एवं कुछ ग्रामवासियों की सहमति के पश्चात ही कार्य आरम्भ किया गया था तथा विभाग आश्वस्त था कि ग्राम प्रधान की सहमति अथवा ग्रामवासी भी सहमति दे देंगे। केवल ग्राम प्रधान एवं कुछ ग्रामवासियों की सहमति के पश्चात ही कार्य आरम्भ करने के संबंध में विभाग का उत्तर स्वयं ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। यह भी कि विभाग द्वारा उक्त खातेदार की अर्जित किए जाने वाली भूमि की गणना 0.115 हेक्टेयर की गयी थी जोकि राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा की गयी गणना में 0.163 हेक्टेयर पायी गयी थी जिससे स्पष्ट था कि विभाग द्वारा अर्जित किए जाने वाली भूमि की सही नाप नहीं ली गयी थी।

अत: भूमि का स्वामित्व प्राप्त किए बिना कार्य प्रारम्भ किए जाने के परिणामस्वरूप रुपये 2.21 करोड़ का निष्फल व्यय किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

---

[2] श्रीमती बसंती देवी पत्नी स्वर्गीय राजकरण सिंह राणा निवासी ग्राम-मुराड़ी, नौगाँव

[3] रिट याचिका संख्या – 861 of 2020

भाग II (ब)

प्रस्तर-1: अपूर्ण निर्माण व वित्तीय अनियमितता ` 30.35 लाख ।

राज्य योजना के अंतर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला में नौगांव ब्लॉक देहली यमुनोत्री मार्ग के रिखाऊ खड्ड से रिखाऊ गाँव तक मोटरमार्ग (लम्बाई 7.125 किमी) के निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा अक्तूबर 2016 में ₹ 464.63 लाख हेतु प्रदान की गई थी जिस के सापेक्ष दिसम्बर 2016 में 4.00 किमी हेतु आंशिक लागत ₹ 261.52 लाख की तकनीकी स्वीकृति तथा अप्रैल 2018 में अवशेष लंबाई 3.125 किमी हेतु लागत ₹ 203.11 लाख की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता (टि0क्षे0) द्वारा प्रदान की गई।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट की लेखापरीक्षा (फरवरी 2021) के दौरान अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि पूर्व में उक्त योजना से संबन्धित प्रथम चरण के अंतर्गत भूमि अध्याप्ति एवं फसल के प्रतिकर हेतु गठित आगणन के सापेक्ष ₹ 76.80 लाख वर्ष 2016-17 तक प्राप्त हुए थे जिन्हें संबन्धित किसानों/ग्रामीणों को नवम्बर 2016 से फरवरी 2019 तक वितरित किया जा चुका था।

द्वितीय चरण हेतु स्वीकृत आगणन के अनुसार पहाड़ कटान कार्य, दीवारों का निर्माण (Retaining/Breast Walls), कॉज़वे का निर्माण, ड्रेनेज का निर्माण तथा पक्के स्कपरों का निर्माण कार्य निष्पादित किया जाना था जिस के लिए कुल 14 अनुबंध गठित किए गए। उक्त 14 अनुबंधों में प्रथम चार किमी में कार्य निष्पादन हेतु 07 अनुबंध गठित किए गए थे। शेष लंबाई हेतु मई 2018 व जून 2018 में भी 07 अन्य अनुबंध गठित किए गए जबकि प्रतिकर का भुगतान जुलाई 2018 से फरवरी 2019 के दौरान किया गया **(Annexure-I)।** इस प्रकार प्रतिकर का भुगतान किए जाने तथा भूमि अधिग्रहण से पूर्व अनुबंध गठन की कारवाई की गई।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित न कर कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे छोटे भागों में विभक्त नहीं किया जाएगा। इस के अतिरिक्त 25.00 लाख से अधिक की धनराशि के समस्त निर्माण कार्य हेतु ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया अपनाई जानी निर्देशित की गई है। वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन-2010 से संबन्धित शासनादेश दिनांक 24/05/2010 के अंतर्गत किसी स्वीकृत निर्माण कार्य अथवा उसके किसी एक भाग के निष्पादन के लिए अधिशासी अभियंता 75.00 लाख की सीमा तक, अधीक्षण अभियंता 75.00 लाख से अधिक परंतु 2.00 करोड़ की सीमा तक तथा मुख्य अभियंता 2.00 करोड़ से अधिक की सीमा तक टेण्डर स्वीकृत करने हेतु अधिकृत हैं।

वर्णित कार्य के सम्पादन हेतु ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया अपनाते हुए मुख्य अभियंता स्तर सेअनुबंध गठित किया जाना चाहिए था। ऐसा न कर के ई-टेंडरिंग का माध्यम अपनाए जाने संबंधी नियमों की अनदेखी की गई तथा योजना को टुकड़ों में बाँट कर तथा अल्पकालीन निविदा आमंत्रित कर अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता स्तर के अनुबंध गठित किए गए। इस प्रकार वित्तीय अधिकारों के परिसीमन का हनन स्पष्ट रूप से किया गया।

प्रथम चरण की स्वीकृत धनराशि से माह फरवरी 2019 तक ₹ 76.80 लाख प्रतिकर के रूप में पहले ही वितरित किए जा चुके थे इस कारण दूसरे चरण हेतु स्वीकृत आगणन में प्रतिकर हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया था। अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि दूसरे चरण में स्वीकृत व अवमुक्त धनराशि से जून 2018 से नवम्बर 2020 तक दोबारा प्रतिकर के रूप में `23.98 लाख का व्यय दर्शाया गया जो अनियमित था।

आगणनों में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष किए गए व्यय का विवरण अभिलेखों में निमन्वत पाया गया:

(₹ लाख में)

मार्ग निर्माण की लागत	आकस्मिकता व गुणवत्ता नियंत्रण मद	कुल स्वीकृत	ठेकेदारों को भुगतान	प्रतिकर भुगतान	आकस्मिकता व्यय	कुल व्यय
446.76	17.87	463.63	374.55	23.98	24.24	422.77

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आकस्मिकता व गुणवत्ता नियंत्रण मद में प्रावधानित व स्वीकृत धनराशि से ` 6.37 लाख का व्यायाधिक्य तथा प्रतिकर के रूप में ` 23.98 लाख का अनियमित भुगतान अभिलेखों में प्रदर्शित हुआ।

अभिलेखों के अवलोकन में आगे पाया गया कि दो भागों में संकलित विस्तृत आगणन में प्रावधानित व स्वीकृत कार्य मदों में से लगभग `160.00 लाख से संबन्धित 11 कार्य मदों को अनुबंध में शामिल नहीं किया गया जिस के कारण पैरापिट निर्माण,डबल्यू.बी.एम आदि कई महत्वपूर्ण कार्य मदों का निष्पादन नहीं किया जा सका **(Annexure-II)**। यदि भविष्य में कार्य पूर्ण किए जाने हेतु नए अनुबंध गठित किए जाने का निर्णय लिया जाता है तब भी अवशेष धनराशि से उन सभी कार्य मदों का निष्पादन संभव नहीं होगा जो आगणन में प्रावधानित होने के बावजूद निष्पादित नहीं की गईं।
उपरोक्त के संबंध में पूछे जाने पर अधिशासी अभियंता द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि इस क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों से स्थानीय ठेकेदारों के अवगत होने के कारण कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में करवाया गया। डबल्यूबीएम की आवश्यकता न होने के कारण उक्त कार्य मद संपादित नहीं किया गया तथा क्रॉस ड्रेनेज, कच्चा नाली व पैरपिट निर्माण किया गया है। प्रतिकर के रूप में ` 23.98 लाख के अनियमित भुगतान के संबंध में इकाई निरुत्तर रही और बताया कि इस संबंध में विस्तृत जांच कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।
उत्तर अमान्य है क्योंकि:

i) कार्य को नियमों के विरुद्द टुकड़ों में विभाजित किया गया तथा ऐसा किए जाने की विशेष परिस्थिति में भी सक्षम अधिकारी की संस्तुति/स्वीकृति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

ii) यदि डब्ल्यू बी एम की आवश्यकता नहीं थी तो आगणन में सम्मिलित किए जाने का कोई औचित्य नहीं था। इस के अतिरिक्त अनुबंध गठन के समय किसी कार्य मद का निष्पादन आवश्यक है अथवा अनावश्यक, इस से इकाई अनभिज्ञ होती है तथा संबन्धित अधिकारी इस का निर्णय कार्य निष्पादन के समय वास्तविक परिस्थिति अनुसार लेते हैं। भुगतान देयकों से यह कहीं भी स्पष्ट नहीं होता कि क्रॉस ड्रेनेज, कच्चा नाली व पैरपिट निर्माण का कार्य निष्पादित किया जा चुका है।

iii) प्रतिकर के रूप में `23.98 लाख के अनावश्यक व अधिक भुगतान से संबन्धित अभिलेख इकाई में उपलब्ध होने चाहिए थे जिस से यह स्पष्ट होता कि उक्त भुगतान किसे तथा किन कारणों से किया गया। इस के अतिरिक्त उक्त के जांच से संबन्धित कोई जानकारी भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।

अतः योजना स्वीकृति से चार वर्ष के विलम्ब के बावजूद कार्य अपूर्ण रहने, अनियमित कार्य निष्पादन तथा `30.35 लाख (6.37 + 23.98) धनराशि की वित्तीय अनियमितता का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II (ब)

प्रस्तर 2 : जी.एस.टी. (TDS) तथा आयकर के रूप में `40,000/- की कटौती कर राजकोष में जमा न कराया जाना।

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-51 के प्राविधान के अनुसार किसी संविदा के अधीन सप्लायर (Supplier) को दिये गये `2.5 लाख से अधिक के भुगतान के प्रकरण पर 2% (1% CGST एवं 1% SGST) स्रोत पर कर की कटौती की जानी चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट, उत्तरकाशी के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा अनुबन्ध संख्या 06/SE-06/2019-20 के अन्तर्गत मा. मुख्यमंत्री घोषणा-39/2019 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के कुवां-कफ़नोल-राड़ी मोटर मार्ग के KM-1 से 49 में सुरक्षात्मक कार्य – नाली, स्क्पर एवं दुर्घटना संभावित स्थलों के सुधारीकरण कार्य हेतु M/s Singh Construction को Transaction ID: MI4103423303201077 दिनांक 27.03.2020 के माध्यम से `10,00,000/- के अग्रिम का भुगतान किया गया था परन्तु भुगतान करते समय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अनुसार 2% GST (TDS) के रूप में `20,000/- तथा Income Tax Act, 1961 की धारा 194C के अनुसार 2% आयकर के रूप में `20,000/-; इस प्रकार कुल `40,000/- की स्रोत पर कटौती करके राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा नहीं कराई गई थी तथा अग्रिम के रूप में दी गई उपरोक्त धनराशि `10,00,000/- का लेखापरीक्षा तिथि (फरवरी 2021) तक कोई समायोजन भी नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि अग्रिम का भुगतान करते समय त्रुटिवश उपरोक्त करों की कटौती नहीं की जा सकी थी तथा शीघ्र ही संबन्धित ठेकेदार के आगामी देयक से GST (TDS) एवं आयकर की धनराशि `40,000/- की वसूली कर राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय नियमानुसार भुगतान के समय ही उपरोक्त करों की स्रोत पर कटौती करके राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा कराई जानी चाहिए थी। इकाई द्वारा नियमानुसार करों की कटौती न किया जाना तथा अग्रिम भुगतान करने के 11 माह बाद तक भी संबन्धित ठेकेदार से कोई समायोजन बिल प्राप्त न किया जाना इकाई द्वारा वित्तीय नियमों के प्रति बरती जा रही लापरवाही को दर्शाता है। वित्तीय नियमों के प्रति बरती गई लापरवाही के कारण इकाई को CGST Act, 2017 की धारा-122 के अनुसार `20,000/- का जुर्माना भरना पड़ेगा तथा धारा-50 के अनुसार, अग्रिम भुगतान के समय से उपरोक्त करों की वसूली किए जाने की तिथि तक हुई देरी हेतु ब्याज भी भरना पड़ सकता है।

अतः इकाई द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण जी.एस.टी. (TDS) तथा आयकर के रूप में `40,000/- की कटौती कर राजकोष में जमा न कराये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II (ब)

प्रस्तर 3 : रॉयल्टी के सापेक्ष स्टाम्प शुल्क, जिला खनिज फाउंडेशन अंशदान तथा क्षतिपूर्ति की कटौती न करने के कारण शासन को `3,66,593/- के राजस्व की हानि।

उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 30 सितम्बर 2016 के नियम 4 के अनुसार निगमों एवं निजी व्यक्तियों के द्वारा चुगान पट्टे हेतु आवेदन उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-6 में निर्धारित प्रारूप पत्र एम.एम.-1 तथा अल्प अवधि के अनुज्ञा हेतु नियम-52 में निर्धारित प्रपत्र एम.एम.-8 में संबन्धित जिलाधिकारी कार्यालय में चार प्रतियों में आवश्यक संलग्नकों सहित प्रस्तुत किया जाएगा तथा उपरोक्त नीति के नियम 5 में निर्धारित आवेदन शुल्क की धनराशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्धारित लेखाशीर्षक – "0853 अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग" में संबन्धित जनपद के कोषागार में आवेदक द्वारा जमा कराई जायेगी। बिना अनुज्ञापत्र के उपखनिजों का खनन अथवा चुगान किया जाना अवैध खनन की श्रेणी में आता है।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1998/VII-1/2018/80-ख/18 दिनांकित 14.02.2018 के द्वारा उपखनिजों की निकासी हेतु निम्नानुसार संशोधित दरों के अनुरूप शुल्क निर्धारित किए गए हैं:-

(i) रॉयल्टी
(ii) स्टाम्प शुल्क – रॉयल्टी का 2 प्रतिशत
(iii) जिला खनिज फाउंडेशन में अंशदान – रॉयल्टी का 25 प्रतिशत
(iv) क्षतिपूर्ति – रॉयल्टी का 15 प्रतिशत

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट, उत्तरकाशी के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में खनन से संबन्धित अनुज्ञापत्र निर्माण कार्यों की पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाये गये जिससे यह स्पष्ट है कि संबन्धित ठेकेदारों द्वारा उपखनिजों के खनन हेतु जिलाधिकारी से अनुज्ञापत्र प्राप्त नहीं किए गये थे अर्थात उनके द्वारा उपखनिजों का अवैध खनन किया गया था जिस पर उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग की अधिसूचना संख्या 1031/VII-1/2015/158-ख/2004 दिनांकित 31 जुलाई 2015 {उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2015)} के नियम 13 2(ख) के अनुसार, "अवैध भंडारणकर्ता/अवैध परिवहनकर्ता/अवैध खननकर्ता से खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 की धारा 21 के उपनियम (2) एवं नियम 21 के उपनियम (5) के अनुसार अर्थदण्ड धनराशि `2,00,000/- (रू० दो लाख मात्र) के अतिरिक्त अवैध उत्खनित खनिज/ परिवहन किये जा रहे खनिज की मात्रा का विक्रय मूल्य (रॉयल्टी का पाँच गुना तक) की धनराशि उपरोक्तनुसार आंगणित कर वसूल किए जाने का प्रावधान है।"

अभिलेखों की जांच में आगे पाया गया कि इकाई द्वारा संलग्नक में उल्लिखित 30 सरकारी निर्माण कार्यों जिनका भुगतान मार्च 2020 में किया गया, के सापेक्ष संबन्धित ठेकेदारों के बिलों से रॉयल्टी की कटौती तो की गई थी परन्तु शासनादेशानुसार उपरोक्त रॉयल्टी पर 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क `17,457/- तथा 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति `1,30,926/- इस प्रकार कुल `1,48,383/- की कटौती करके राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा नहीं कराई गई थी।

इसी प्रकार इकाई द्वारा उपरोक्त शासनादेश तथा उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 के नियम 10 (2)(5) के अनुसार 25 प्रतिशत जिला खनिज फाउंडेशन अंशदान `2,18,210/- की कटौती करके जिला स्तर पर खोले गये जिला खनिज फाउंडेशन न्यास के बैंक खाते[4] में जमा नहीं कराई गई थी।

इकाई द्वारा संबन्धित ठेकेदारों के बिलों से रॉयल्टी के सापेक्ष स्टाम्प शुल्क, जिला खनिज फाउंडेशन अंशदान तथा क्षतिपूर्ति की कटौती न करने के कारण शासन को कुल `3,66,593/- के राजस्व की हानि हुई है जोकि इकाई द्वारा शासनादेशों/नियमों के अनुपालन में बरती जा रही लापरवाही को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकारते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि संबन्धित ठेकेदारों द्वारा खनन हेतु जिलाधिकारी से कोई अनुज्ञापत्र प्राप्त नहीं किए थे। इकाई ने आगे बताया कि संबन्धित शासनादेश की जानकारी न होने के कारण उपरोक्त कटौतियाँ नहीं की जा सकी थीं तथा संबन्धित ठेकेदारों के आगामी देयकों से उपरोक्त धनराशि `3,66,593/- की वसूली कर राजकोष /बैंक खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है कि क्योंकि उपरोक्त शासनादेश/नियमावली संबन्धित विभागों को प्रेषित किए गए थे। इकाई द्वारा भुगतान के समय ही उपरोक्त कटौतियाँ न करने के कारण शासन को समय पर राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई जिसके कारण इकाई को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। संबन्धित ठेकेदारों द्वारा खनन हेतु जिलाधिकारी से कोई अनुज्ञापत्र प्राप्त न किए जाने से स्वतः स्पष्ट है कि उनके द्वारा उपखनिजों का अवैध खनन किया गया था जिस पर संबन्धित अधिकारी द्वारा अर्थदण्ड की कार्यवाही कर वसूली किया जाना अपेक्षित है।

अतः इकाई द्वारा शासनादेशों/नियमों के अनुपालन में बरती गई लापरवाही के कारण `3,66,593/- के राजस्व की हानि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

---

[4] Name of Bank: State Bank of India, A/c Name: District Mineral Foundation Trust, Uttarkashi, A/c No: 37325379778

भाग-II (ब)

प्रस्तरः 4 - त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों के रुप में ₹ 1.37 लाख का अधिक भुगतान।

उत्तराखण्ड शासन, वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या-290/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 28 दिसम्बर 2016 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016" के विन्दु संख्या 13 (01 जनवरी 2016 को अथवा उसके पश्चात प्रोन्नति पर वेतन का निर्धारण) के द्वारा वेतन का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाना चाहिएः

संशोधित वेतन संरचना में एक स्तर (लेवल) से दूसरे स्तर (लेवल) में पदोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन अथवा समयमान/चयन वेतनमान के मामले में, वेतन निर्धारण, एक वेतनवृद्धि उस स्तर (लेवल) में दी जायेगी जिसमें से कर्मचारी पदोन्नति किया जा रहा है और उसे उस पद जिसमें पदोन्नति दी गई है, के स्तर (लेवल) में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य किसी कोष्ठिका में रखा जाएगी और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका उस लेवल जिसमें पदोन्नति दी गई है, में उपलब्ध नही है तो उसे उस लेवल से अगली उच्चतर कोष्ठिका में रखा जाएगा।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, बड़कोट में कार्यरत श्री नरेन्द्र गौड़ (अपर सहायक अभियन्ता) एवं श्रीमती ऐलासी देवी (बेलदार) की सेवापुस्तिका में वेतन निर्धारण निम्न प्रकार किया गया था जोकि त्रुटिपूर्ण थाः-

1. श्री नरेन्द्र गौड़ (अपर सहायक अभियन्ता) की सेवापुस्तिका की जांच में पाया गया कि श्री गौड़ की पदोन्नति कनिष्ठ अभियन्ता से अपर सहायक अभियन्ता के पद पर दिनांक 01/08/2016 को लेवल-07 से लेवल-08 में हुआ। दिनांक 01/08/2016 को लेवल-07 में मूल वेतन ₹ 49000/- था तथा आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि 01/07/2017 थी। पदोन्नति पर वेतन निर्धारित करते समय दिनांक 01/08/2016 को लेवल-07 एक वेतन वृद्धि देकर मूल वेतन को 50500/- किया गया। । पुनः लेवल -08 में ले जाते हुए '*उच्चतर दायित्व के पद ग्रेड वेतन 4800 में निर्धारित वेतन मैट्रिक्स के आधार पर*' इंगित करते हुए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देकर ₹ 52000.00 किया गया। जबकि उपरोक्त नियम के अनुसार लेवल-07 में एक वेतन वृद्धि दिया जाना था। पुनः लेवल-07 में वेतन वृद्धि देने पर प्राप्त राशि के समतुल्य राशि की कोष्ठिका जो लेवल-08 में मौजूद है, पर रखना था अथवा समतुल्य न होने पर लेवल-08 में ही अगली कोष्ठिका में रखना था। जबकि लेवल-07 में एक वेतन वृद्धि देने पर ₹ 50500.00 आता है जो लेवल-08 में मौजूद है। अतः 01/08/2016 को लेवल-08 में निर्धारित वेतन ₹ 50500.00 न देकर ₹ 52000.00 किया गया जो एक वेतन वृद्धि अधिक है। इसी प्रकार वर्तमान तक वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि को देय वास्तविक वेतन से एक वेतन वृद्धि अधिक दिया जा रहा था। जिसके परिणाम स्वरुप ₹ **96369/-** का अधिक भुगतान वेतन एवं भत्तों के रुप में हुआ है।

2. श्रीमती ऐलासी देवी (बेलदार) को 28/05/2017 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर एम0ए0सी0पी0 का लाभ देते हुए इन्हे लेवल-01 से लेवल-02 में किया गया। इनको वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी को दी जा रही थी। दिनांक 28/05/2017 को एम0ए0सी0पी0 देने पर वेतन निर्धारित करते

समय दिनांक 28/05/2017 को लेवल-01 एक वेतन वृद्धि देकर मूल वेतन को `25600/- किया गया पुनः लेवल-01 मे ही एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देकर `26400/- किया गया। तत्पश्चात लेवल -02 में ले जाते हुए `26800/- किया गया। जबकि उपरोक्त नियम के अनुसार लेवल-01 में एक वेतन वृद्धि दिया जाना था। पुनः लेवल-01 में वेतन वृद्धि देने पर प्राप्त राशि के समतुल्य राशि की कोष्ठिका जो लेवल-02 में मौजूद है, पर रखना था अथवा समतुल्य न होने पर लेवल-02 में ही अगली कोष्ठिका में रखना था। नियमानुसार लेवल-01 में दिनांक 28/05/2017 को एक वेतन वृद्धि देने पर ` 25600/- आता है तथा लेवल-02 मे समतुल्य राशि की कोष्ठिका मौजून न होने पर लेवल-02 में `26000/- किया जाना था। तत्पश्चात 01/01/2018 को लेवल-02 में वार्षिक वेतन वृद्धि देकर `26800/- किया जाना था। परन्तु ऐसा न करके 28/05/2017 को ही `26800/- दे दिया गया था तथा 01/01/2018 को वर्षिक वेतन वृद्धि देकर वेतन का निर्धारण `27600/- पर किया गया। इसी प्रकार वर्तमान तक वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि को देय वास्तविक वेतन से एक वेतन वृद्धि अधिक दिया जा रहा था। जिसके परिणाम स्वरुप ` **41004/-** का अधिक भुगतान वेतन एवं भत्तों के रुप में हुआ है।

उक्त दोनों प्रकरणों को इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया कि प्रकरण की जांच कर वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

अतः वेतन एवं भत्तों के रुप में अधिक भुगतान किये गये **ì 137373/-** का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II (ब)

प्रस्तर 5 : अग्रिम के रूप में ठेकेदारों/विभागों/फ़र्मों को भुगतान की गई धनराशि `24,33,005/- का असमायोजित रहना। ।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियम 53 (1) (पूर्व में लागू उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 48) के अनुसार, "साधारणतया ठेकेदारों को अग्रिम दिया जाना वर्जित है तथा किए गये वास्तविक कार्य के सापेक्ष ही भुगतान किया जाये। शासन अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थापित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अधीन कुछ पूर्व से परिभाषित उपयोगों में अपवाद अनुमन्य किए जा सकते हैं जैसे:- संचालन अग्रिम, उपस्कर एवं मशीन हेतु अग्रिम तथा निर्माण कार्य की प्रगति में तीव्रता लाने हेतु अग्रिम।"

अधिप्राप्ति नियमावली के नियम 53 (2) के अनुसार, "अग्रिम, अग्रिम धनराशि के समायोजन अथवा कटौती तक, ब्याज की शर्त के अधीन स्वीकृत किए जाएंगे। अग्रिम की वसूली या समायोजन सुनिश्चित करने के लिए बैंक गारंटी अथवा अन्य धरोहर राशि ली जाये। यदि बैंक गारंटी ली जाये तो उसे स्वीकार करने के पूर्व बैंक गारंटी की अधिप्रमाणिकता एवं वैधता की अवधि की जाँच की जाये।"

Uttar Pradesh, Financial Hand Book, Vol-V, Part-I के नियम 312 के अनुसार बिना अनावश्यक देरी के अग्रिम का समायोजन किया जाना चाहिए। साधारणतया ऐसे अग्रिमों का समायोजन आहरण की तिथि से दो माह के अन्दर कर लिया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से यह संभव न हो, तो समायोजन में देरी के कारणों को स्पष्ट करते हुए विभागाध्यक्ष के माध्यम से इसकी रिपोर्ट महालेखाकार को प्रेषित की जानी चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट, उत्तरकाशी के लेखा-अभिलेखों तथा असमायोजित अग्रिम के संबंध में इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों/अन्य प्रयोजनों हेतु अग्रिम के रूप में `24,33,005/- की धनराशि का ठेकेदारों/विभागों/फ़र्मों को निम्नानुसार भुगतान किया गया था:-

S.No.	Date/ Month in which advance was given	Name of Contractor /Deptt/ Firm to whom advance has been given	Advance Amount (In Rs)
1	11／2007	मै0 यमुना वेली सर्विस स्टेशन नौगांव	579326
2	12／2007	मै0 कनस्ट्रक्सन एल0टी0डी0	10249

3	09/1988	पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी मा0मु0मं0 आगमन पर	3910
4	03/1993	प्रभागीय वैली प्रबन्धक वन प्रभाग उत्तरकाशी	541
5	03/1993	प्रबन्धक निदेशक वन निगम देहरादून	10827
6	03/1998	पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी मा0मु0मं0 आगमन पर	109916
7	10/2001	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून	500
8	12/2002	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 पुरोला	40276
9	07/2004	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम रुड़की	1309
10	12/2005	पुलिस अधीक्षक मा0 राज्यपाल के आगमन पर	62971
11	03/2009	मै0 हिन्दुस्तान पैट्रोलियम रुड़की	37711
12	10/2009	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून	41250
13	03/2009	पुलिस अधीक्षक मा0 मुख्यमंत्री जी के आगमन पर	168064
14	03/2010	कुसुम पंवार तहसीलदार बड़कोट	1261
15	08/2010	श्री लक्ष्मी नारायण टेलर्स	1115
16	08/2010	श्री कल्याण सिह रावत	534
17	07/2011	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड ऋषिकेश	373762
18	03/2013	मै0 शिवालिक एसोसिएट सहारनपुर	93380
19	07/2011	जिलाधिकारी उत्तरकाशी मा0मु0घो0 के आगमन पर	164100
20	01/2014	श्री जयेन्द्र सिह रावत सी0वी0 न0 03 एस0सी0 दि0 12.11.2018	237212
21	03/2014	श्री प्रकाश लाल मेट निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 बडकोट	5000
22	10/2011	अधिशासी अभियन्ता मैकेनिक डिविजन गोपेश्वर	50150
23	12/2014	बृन्दावन टेन्टहाऊस देहरादून	100000
24	03/2015	चन्दन सिह ठेकेदार सी0वी0 न0 164 स0अ0 दि0 25.02.2012	107312
25	02/2016	एच0पी0सी0 लिमिटेड रुड़की	101283
26	05/2015	राजाराम नौटियाल सी0बी0 न0 1 अधिशासी अभियन्ता दि0 01.05.2015	46610
27	03/2015	राजाराम नौटियाल सी0बी0 न0 105 अधिशासी अभियन्ता दि0 26.03.2015	84436
		Total	**2433005**

आगे जांच में पाया गया कि कई मामलों में अग्रिम के रूप में दी गई धनराशि को 10 वर्ष से भी अधिक का समय बीत चुका था परन्तु इकाई द्वारा उपरोक्त धनराशि का समायोजन नहीं किया गया था और ना ही अग्रिम की वसूली या समायोजन सुनिश्चित करने के लिए संबन्धित ठेकेदारों से बैंक गारंटी अथवा अन्य धरोहर राशि ली गई थी। लेखापरीक्षा तिथि (फरवरी 2021) तक इकाई द्वारा अग्रिम के रूप में भुगतान की गई धनराशि पर उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार ब्याज की कोई गणना अथवा वसूली नहीं की गई थी और ना ही उपरोक्त असमायोजित अग्रिमों की कोई रिपोर्ट महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि संबन्धित ठेकेदारों/विभागों/फ़र्मों द्वारा उक्त निर्माण कार्यों/अन्य प्रयोजनों हेतु दिये गए अग्रिमों के आतिथि तक कोई समायोजन बिल प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तथा अग्रिम की धनराशि वसूले जाने हेतु संबन्धित ठेकेदारों/विभागों/फ़र्मों से पत्राचार किया गया है।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्माण कार्यों/अन्य प्रयोजनों हेतु काफी लम्बे समय से असमायोजित अग्रिम की धनराशि को समायोजित करने अथवा वसूल किए जाने हेतु इकाई द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए थे। वर्ष 2018 के पश्चात से संबन्धित ठेकेदारों/विभागों/फ़र्मों के साथ कोई पत्राचार भी नहीं किया गया था जोकि इकाई द्वारा वित्तीय नियमों के अनुपालन में बरती जा रही शिथिलता तथा अग्रिमों के समायोजन हेतु बरती जा रही उदासीनता को दर्शाता है।

अतः अग्रिम के रूप में ठेकेदारों/विभागों/फ़र्मों को भुगतान की गई धनराशि `24,33,005/- का काफी लम्बे समय से असमायोजित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निमन्वत है:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
13/2004-05	01, 02	01	03
14/2005-06	01	02, 03	03
94/2010-11	02	01	--
05/2012-13	01	01	--
50/2014-15	01	01, 02, 03	--
89/2015-16	--	01,02,03,04,05	--
16/2017-18	--	01,02,03,04,05,06	01,02
112/2018-19	01	01,02,03,04	--
117/2019-20	--	01,02,03	--

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
पूर्व के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के संबंध में खण्ड द्वारा कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।				

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-- शून्य --

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट (उत्तरकाशी) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

अप्रस्तुत अभिलेख - **शून्य**
सतत अनियमितताएँ - **शून्य**

2. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01.	ई. सुनील कुमार गर्ग	अधिशासी अभियन्ता	17.10.2018 से 20.10.2020
02.	ई. सुरेश कुमार तोमर	अधिशासी अभियन्ता	20.10.2020 से 20.11.2020
03.	ई. एस. पी. सिन्हा	अधिशासी अभियन्ता	20.11.2020 से वर्तमान तक

3. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से सम्बद्ध रहे:-

क्रं.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01.	श्री धीरेन्द्र कुमार	खंडीय लेखाधिकारी	26.08.2019 से 14.09.2020 तक
02.	श्री शक्ति सुमन	खंडीय लेखाधिकारी	14.09.2020 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट (उत्तरकाशी) को पत्रांक संख्या AMG-II (Non-PSUs)/ले.प./न.ले.प.टि./दल सं.-05/2020-21/20 दिनाँक-04.03.2021 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप-महालेखाकार/AMG-II (Non-PSUs), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून -248195 को प्रेषित कर दी जाये।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (Non-PSU)